कार्यालय–वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती

E-Mail – ID : cfbasti1947@gmail.com
Office. : Conservator of Foreststs Basti Circle-Basti, Near-Toll Plaza, Marwa Nagar
Post-Purani Basti, Distt.Basti Pin-272002

पत्रांक : 390/33–1 बस्ती, दिनांक अगस्त 17 /2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : रिलायन्स 4जी परियोजना के अन्तर्गत जनपद–सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग सं0–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के किमी0 0.00 से किमी0 42.00 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के किमी0 65.60 से किमी0 46.00 तक कुल 61.60 किमी0 एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : विशेष सचिव, उ0प्र0, शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ का पत्र सं0–पी–47/81–2–2021–800(42)/2021 दिनांक 22.03.2021 एवं आपका पत्र सं0–2482/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0 /others/ 30152/2017 दिनांक 25.03.2021.

Adco
cf/Nodal
[signature]
01-09-22

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। विषयगत प्रस्ताव में विशेष सचिव, उ0प्र0, शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ के पत्र सं0–पी–47/81–2–2021–800(42)/2021 दिनांक 22.03.2021 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सिद्धार्थनगर के पत्र संख्या–132/2–6 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे तीन प्रतियों में संस्तुति/सहमति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :– प्रस्ताव 03 प्रतियों में।

भवदीय

(आनन्द प्रकाश पाठक)
वन संरक्षक
बस्ती वृत्त, बस्ती

संख्या : /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि : प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सिद्धार्थनगर को उनके पत्र संख्या–132/2–6 दिनांक 13.07.2022 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आनन्द प्रकाश पाठक)
वन संरक्षक
बस्ती वृत्त, बस्ती

कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सिद्धार्थनगर ।

पत्रांक– 132 /2-6 दिनांक : सिद्धार्थनगर : जुलाई 13 /2022.

सेवा में,

वन संरक्षक
बस्ती वृत्त, बस्ती।

विषय :– रिलायन्स 4 जी परियोजना के अंतर्गतजनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल 61.60 कि.मी.एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ :– शासनादेश सं0–पी–47/81–2–2021–800(42)/2021, दिनांक 22.03.2021 एवं आपका पृष्ठांकन सपत्र सं0–2758/33–1, दिनांक 26.03.2021,

महोदय,

निवेदन है कि विषयगत प्रस्ताव में उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों/प्रतिबन्धो के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नलिखित प्रकार है:–

क्रमांक	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में याचक विभाग द्वारा वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है।
2	ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाईन/मार्गो/सड़कों/ वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–किनारे ही बिछाये जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाईन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–किनारे ही बिछाये जायेगें। जिसके सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है।
3	ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.0 मीटर तथा चौड़ाई 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.0 मीटर तथा चौड़ाई 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है।
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च/पिट को भर कर कम्पेक्ट कर दिया जायेगा, जिससे भू–क्षरण की सम्भावना भविष्य में न हो इसका पूर्ण रूप से पालन किये जाने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में लिखित सहमति के साथ वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति लिये जाने के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण- पत्र संलग्न है।
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नही लिये जाने एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
9	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि.मी. तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 3544/14–2–2008 लखनऊ दिनांक 23 अगस्त 2008 के अनुपालन में जनपद आगरा में फतेहाबाद–शमशाबाद–आगरा एवं इरादतनगर नगर मार्ग कुल लम्बाई 20 कि.मी. पर वृक्षारोपण कार्य हेतु रू0– 10900000/– (एक करोड़ नौ लाख मात्र) ड्रॉफ्ट

		सं0–300246 दिनांक 8.11.2013 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा में जमा करा दिया गया है। (नाम परिवर्तन के पश्चात् नया नाम का प्रमाण प्रस्ताव के साथ संलग्न है। पूर्व में मेसर्स इंफोटेल ब्राडबेंड लि0 था एवं वर्तमान में रिलायन्स जियो इंफोकाम लि0 है)
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भू–स्वामित्व वाले विभाग पी0डब्लू0डी0 से राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है एवं प्रस्ताव के साथ संलग्न है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 का एन0एच0आई0 का अनापत्ति प्रमाण पत्र आनलाइन आवेदन में प्रक्रियाधीन है एवं इस प्रस्ताव की Final Permission से पहले प्राप्त कर लिया जायेगा, इसके सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	प्रयोक्ता अभिकरण के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ.सी. (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।	आवश्यकता नही है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
13	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।	प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित क्षेत्र नही है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
14	समस्त वैधानिक/प्रशानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त वैधानिक/प्रशानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किये जायेगें, जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
15	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11– 9/98–एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।	याचक विभाग द्वारा भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण– पत्र संलग्न है।
16	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते है।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त पूर्व में ही प्राप्त कर लिया गया है, जो प्रस्ताव में संलग्न है।
17	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार /राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

10	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबंधों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बंधी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये। तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण–पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबंधों का स्थलीय सत्यापन कर लिया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त शर्तों का अनुपालन किया गया है।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय

(चन्देश्वर सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर।

R
ऊषादेवी
दिनांक 01-06-2022

Reliance Jio
Infocomm Limited

Ref.:- RJIL/OFC/NLD/EAST/UP/SIDDHARTHNAGAR/FOREST/02 **Date:- 21.04.2022**

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सिद्वार्थनगर
उत्तर प्रदेश।

विषय: रिलायन्स 4जी परियोजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल 61.60 कि.मी. एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।
आनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Others/30152/2017

सन्दर्भ: आपका पत्रांक संख्या–149/2–सी, सिद्धार्थनगर, दिनांक–14.07.2021 एवं उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या–पी–47/81–2–2021–800(42)/2021 दिनांक– 22.03.2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के कम में उ0प्र0 शासन द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक–22.03.2021 में अंकित समस्त शर्तो की टेबुलर फार्म में अनुपालन आख्या का बिन्दुवार निस्तारण निम्नानुसार है:–

कमांक	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्षों का पातन नही किये जाने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
2	ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाईन/ मार्गो/सड़कों/ वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तो के किनारे – किनारे ही बिछाये जायेंगे।	याचक विभाग द्वारा ओ0एफ0सी0 केबिल/ टेलीफोन लाईन/ मार्गो/ सड़कों/ वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तो के किनारे–किनारे ही बिछाये जाने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
3	ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.0 मीटर तथा चौड़ाई 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी।	याचक विभाग द्वारा ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.0 मीटर तथा चौड़ाई 1.0 मीटर से अधिक नहीं होने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो।	याचक विभाग द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च/पिट को भर कर कम्पेक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो इसका पूर्ण रूप से पालन किये जाने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	याचक विभाग द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जाने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	याचक विभाग द्वारा वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में लिखित सहमति संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी	याचक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जाने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर

पंकज [illegible] (प्रबंधक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।	याचक विभाग द्वारा भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिये जाने एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
9	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि.मी. तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 3544/14–2–2008 लखनऊ दिनांक 23 अगस्त 2008 के अनुपालन में जपपद आगरा में फतेहाबाद–शमशाबाद–आगरा एवं इरादतनगर नगर मार्ग कुल लम्बाई 20 कि.मी. पर वृक्षारोपण कार्य हेतु रू0 10900000/– (एक करोड नौ लाख मात्र) ड्रॉफ्ट सं0 300246 दिनांक 8.11.2013 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा में जमा करा दिया गया है। (नाम परिवर्तन के पश्चात् नया नाम का प्रमाण प्रस्ताव के साथ संलग्न है। पूर्व में मेसर्स इंफोटेल ब्राडबेंड लि0 था एवं वर्तमान में रिलायन्स जियों इंफोकाम लि0 है)
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	याचक विभाग द्वारा भू–स्वामित्व वाले विभाग पी0डब्लू0डी0 से राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है एवं प्रस्ताव के साथ संलग्न है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 का एन0एच0आई0 का अनापत्ति प्रमाण पत्र आनलाइन आवेदन में प्रकियाधीन है एवं इस प्रस्ताव की Final Permission से पहले प्राप्त कर लिया जायेगा, इसके संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।	आवश्यकता नही है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
13	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।	प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नही होने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
14	समस्त वैधानिक/प्रशानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा समस्त वैधानिक/प्रशानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किये जाने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
15	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98 – एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।	याचक विभाग द्वारा भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर

पंकज [illegible] (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

Reliance Jio
Infocomm Limited

16	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते है।	याचक विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
17	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
18	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबंधों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बंधी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये। तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण–पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रभागीय निदेशक के स्तर पर।
19	प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य मे प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सैद्धांतिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो।	संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त मार्ग की अनुमति जारी करने का कृपा करे।

भवदीय,
कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर

प्रतिलिपिः–
1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती।

रिलायन्स 4जी परियोजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल 61.60 कि.मी. एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Others/30152/2017

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–1

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी भी वृक्षों का पातन नही किया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स 4जी परियोजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल 61.60 कि.मी. एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Others/30152/2017

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–2

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि ओ0एफ0सी0 केबिल/ टेलीफोन लाईन/ मार्गो/ सड़कों/ वर्तमान ˆ;नतबिम त्पहीजद्ध में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–किनारे ही बिछायी जायेगी।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स 4जी परियोजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल 61.60 कि.मी. एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Others/30152/2017

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–3

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.0 मीटर तथा चौड़ाई 1.0 मीटर से अधिक न होगी।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स 4जी परियोजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल 61.60 कि.मी. एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Others/30152/2017

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–4

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेन्च/पिट को भर कर कम्पेक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो इसका पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स 4जी परियोजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल 61.60 कि.मी. एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Others/30152/2017

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–5

याचक विभाग यह वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स 4जी परियोजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल 61.60 कि.मी. एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Others/30152/2017

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–6

याचक विभाग द्वारा वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स 4जी परियोजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल 61.60 कि.मी. एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Others/30152/2017

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–7

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स 4जी परियोजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल 61.60 कि.मी. एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Others/30152/2017

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–8

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भॉति यथावत् बना रहेगा।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स 4जी परियोजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल 61.60 कि.मी. एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Others/30152/2017

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–9

याचक विभाग द्वारा सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 3544/14–2–2008 लखनऊ दिनांक 23 अगस्त 2008 के अनुपालन में जपपद आगरा में फतेहाबाद–शमशाबाद–आगरा एवं इरादतनगर नगर मार्ग कुल लम्बाई 20 कि.मी. पर वृक्षारोपण कार्य हेतु रू0 10900000/– (एक करोड नौ लाख मात्र) ड्रॉफ्ट सं0 300246 दिनांक 8.11.2013 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा में जमा करा दिया गया है जिसका प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (नाम परिवर्तन के पश्चात् नया नाम का प्रमाण प्रस्ताव के साथ संलग्न है। पूर्व में मेसर्स इंफोटेल ब्राडबेंड लि0 था एवं वर्तमान में रिलायन्स जियों इंफोकाम लि0 है)।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स 4जी परियोजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल 61.60 कि.मी. एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Others/30152/2017

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–10

याचक विभाग द्वारा भू–स्वामित्व वाले विभाग पी0डब्लू0डी0 से राज्य मार्ग संख्या–75(बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है एवं प्रस्ताव के साथ संलग्न है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 का एन0एच0आई0 का अनापत्ति प्रमाण पत्र आनलाइन आवेदन में प्रक्रियाधीन है एवं इस प्रस्ताव की Final Permission से पहले प्राप्त कर लिया जायेगा, इसकी वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स 4जी परियोजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल 61.60 कि.मी. एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Others/30152/2017

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–11

याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, एवं प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स 4जी परियोजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल 61.60 कि.मी. एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Others/30152/2017

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–12

याचक विभाग यह वचनबद्धता दी जाती है सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त करने की आवश्यकता नही है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स 4जी परियोजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल 61.60 कि.मी. एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Others/30152/2017

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–13

याचक विभाग द्वारा प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नही होने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स 4जी परियोजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल 61.60 कि.मी. एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Others/30152/2017

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–14

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स 4जी परियोजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल 61.60 कि.मी. एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Others/30152/2017

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–15

याचक विभाग द्वारा भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स 4जी परियोजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल 61.60 कि.मी. एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Others/30152/2017

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–16

याचक विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया है एवं प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर

रिलायन्स 4जी परियोजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल 61.60 कि.मी. एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Others/30152/2017

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–17

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जाएगा एवं इसके संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स 4जी परियोजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल 61.60 कि.मी. एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Others/30152/2017

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–19

याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, एवं प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स 4जी परियोजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि. मी. 46.00 तक कुल 61.60 कि.मी. एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Others/30152/2017

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उल्लंघन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा 4जी परियोजना हेतु जनपद में राज्य मार्ग संख्या–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एंव राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक सडक मार्गों के किनारे की बॉयीं पटरी पर ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने हेतु कुल 61.60 कि.मी. एवं 0.6492 हे0 प्रभावित संरक्षित वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है तथा उपरोक्त शर्तों का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनतर्गत पालन किया जायेगा।

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज [illegible] (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर